न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर

———————

पीठासीन अधिकारी — नरेन्द्र कुमार मीना, आर०जे०एस०
नियमित फौज0 प्रकरण संख्या — 370/2016 (C-I-S-No 2509/2016)
एफआईआर नंबर — 169/16 थाना नारायणपुर

राजस्थान राज्य **ब ना म** **मेहरसिंह व अन्य**

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 451, 34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम

क

परिवादी	ननमती पत्नी पूरण निवासी ग्राम भोजपुरी थाना नारायणपुर
प्रस्तुतकर्ता	श्री मुरलीधर गुर्जर, सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. मेहरसिंह पुत्र बीरबल निवासी बामनवास कांकड थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0। 2. रामोतार उर्फ लालाराम पुत्र छीतरमल निवासी मुण्डावरा थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री कृष्ण कुमार शर्मा

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	21.11.2016
2.	आरोप विरचित किए गए	21.11.2016
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	21.11.2016
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	23.03.2016
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	06.04.2026
6.	साक्ष्य सफाई पेश की गयी	.....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	06.04.2026
8.	अंतिम निर्णय	06.04.2026

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथी	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र. सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1. 2.	मेहरसिंह रामोतार उर्फ लालाराम			धारा 323, 341, 451, 34 भारतीय दण्ड संहिता			

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	मनोज	अनुसंधान अधिकारी
पी0ड0 2	डॉ0 दीपक कुमार शर्मा	चिकित्सकीय विशेषज्ञ
पी0ड0 3	पूरण	नक्शा मौका
पी0ड0 4	बुद्धसिंह	मजरूब
पी0ड0 5	नगमंती	मजरूब, परिवादिया
पी0ड0 6	संजय	मजरूब

ब–बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
————————		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
<u>अ</u>–अभियोजन <u>प्रदर्श</u>

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी–4	चोट प्रतिवेदन संजय
5.	प्रदर्श पी–5	चोट प्रतिवेदन बुद्धसिंह
6.	प्रदर्श पी–6	चोट प्रतिवेदन पूरण
7.	प्रदर्श पी–7	पुलिस बयान नगमंती

।। नि र्ण य ।। दिनांक :– 06.04.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2016 को परिवादी ननमंती ने थाना नारायणपुर में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 इस आशय की पेश की कि वह रात को पूरे परिवार सहित घर पर सोये हुए थे। रात करीब 11.00 बजे दरम्यान पांच आदमी आये और औरतों के साथ छेडखानी करने लगे। उन्होंने सोर मचाया तो ये भाग गये। फिर रात 01.00 बजे के दरम्यान 7 आदमी आये जिनमें से वह दो को पहचानती है जिसमें मेहरसिंह पुत्र बीरबल जाट बामनवास व लालाराम पुत्र छीतर जाट गांव मुण्डावरा थे और को नहीं जानती है। इन सबके हाथों में लाठी, टांचिया, सरिया हथियार थे। फिर इन्होंने आके उनके साथ पकडा पकडी की वे चिल्लाई तो उसके पति और उसके देवर बुद्धसिंह ने बीच बचाव करने उठे तो इनको लाठी, टांचियां और डंडों से ताबडतोड हमला कर दिया जिससे उसके पति पूरण के सिर में और बायें हाथ की अंगुलियों में चोट आयी और उसके देवर बुद्धसिंह के बाये हाथ में और मुंह पर कुल्हाडी के बैंसे से वार किया जिससे दो दांत हिल गये।

2. उक्त उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 169/2016 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 452, 379 भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर

अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 451, 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को अपराध धारा 323, 341, 451, 34 भा.दं.सं. के अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये समझाए गये तो सुन समझकर अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2,3,4 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाने होने का कथन किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.09.2016 को समय करीब रात 01.00 बजे मौजा ग्राम भोजपुरी में सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के रिहायशी मकान में अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया व परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित कर परिवादी पक्ष को उस दिशा में जाने से निवृत्त किया जिस दिशा में जाने का उन्हें विधिक अधिकार प्राप्त था।

––यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का भागीदार है?

8. बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है जिससे अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 06 गवाह परीक्षित करवाये गए हैं। गवाह पी.ड. 5 नगमंती, जिसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र प्रदर्श पी. 1 पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपने न्यायालय बयानों में यह कथन किया गया है कि वह अनपढ है पढना लिखना नहीं जानती है। करीब दस साल पहले की बात है नौ दस तारीख थी रात का समय था। उस समय वह, उसका पति पूरण, देवर बुद्धसिंह, बुद्धसिंह की घरवाली सूरजलता, उसका भाई संजय, उसकी घ ारवाली सुशीला सभी गांव भोजपुरी में अपने मकान/झोपडी में सो रहे थे तभी दो आदमी आये थे उनके साथ तीन चार आदमी और थे वो उनहें धमका के चले गये। रात को वो फिर से दोबारा आये और उनके घरों में घुसकर उसे व सुशीला को पकड लिया। उनके साथ छेडछाड की। उनके घरवाले ने बीच बचाव करवाना चाहा तो उनके साथ लाठी, कुल्हाडी, गंडासा से मारपीट की। मारपीट में उसके पति पूरण, बुद्धसिंह, संजय के चोट आई थी। मारपीट करने वाले व्यक्तियों के नाम आज उसे याद नहीं है। उनके नाम उसने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया था और पुलिस को भी बताया था। दूसरे दिन सुबह उन्होंने थाना नारायणपुर जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, उसके पुलिस बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 7 है जिसमें ए से बी दो जगह मुलजिमान मेहरसिंह व लालाराम का नाम अंकित है जो सही है। इन दोनों ने ही उनके घर में घुसकर पूरण, बुद्धसिंह व संजय के साथ मारपीट की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखी गई तथा रिपोर्ट में क्या लिखा है वह पढकर नहीं बता सकती। घटना वाले दिन रात को अंधेरा होने के कारण लडाई करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं बता सकती है। नक्शा मौका के बारे में नहीं समझने का कथन किया गया है।

10. गवाह पी0ड0 3 पूरण जो कि प्रकरण में मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह कथन किया है कि वह अनपढ है, पढना लिखना नहीं जानता केवल नाम लिखना जानता है। 09 तारीख नवां महीना साल 2016 की बात है। उस दिन भोजपुरी गांव में उन्होंने भेड बकरी चराने के लिए जमीन ली हुई थी, उसमें मकान व झोंपडी बनाकर वह, उसकी पत्नी नागन्ती, उसका भाई बुद्धसिंह और उसका साला संजय रह रहे थे। उस रात वे उनके मकान व झोपडी में सो रहे थे तभी रात को मेहरसिंह जाट पुत्र बीरबल व लालाराम पुत्र छीतर जाट उनके कान व झोपडी में अन्दर घुस गये और उसकी पत्नी के साथ छेडछाड की और वहां से भाग गये। फिर उसी रात ये दोनों

मेहरसिंह व लालाराम तथा इनके साथ सात आठ आदमी और हाथों में परसी लाठी व देशी कटटा लेकर आये और उनके मकान व झोपडे में घुसकर जब वह, बुद्धसिंह व संजय सो रहे थे तो उनके साथ इन सब ने मिलकर मारपीट की। जो लोग इनके साथ आये थे उनके नाम वह नहीं जानता। मारपीट में उसके सिर व बायें हाथ पर चोट आई थी। सुबह उन्होंने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सरकारी अस्पताल नारायणपुर में उनका ईलाज करवाया था। उनके द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने घटना का माह ध्यान नहीं होने का कथन किया है तथा घटना रात की होने व उस समय पर घर की लाईट की व्यवस्था नहीं होने व अंधेरा होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने इस बात से इंकार किया है कि जमीन मुलजिमान के कब्जे की हो और वे उस पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हों। गुल्ला गुर्जर से पहले उस जमीन पर कब्जा मुलजिमान का हो तो वह नहीं बता सकता। थानाधिकारी ने रिपोर्ट में क्या लिखा वह नहीं बता सकता है। वह नक्शा मौका के बारे में नहीं समझता है।

11. गवाह पी0ड0 4 बुद्धसिंह जो कि प्रकरण में मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह कथन किया है कि वह अनपढ है पढना लिखना नहीं जानता है। 2016 की साल का नवां महीना तथा नौ, दस तारीख की रात की बात हैं। उस रात वह, उसका भाई पूरण, संजय उनके मकान व झोपडी गांव भोजपुरी में रात को सो रहे थे। तभी रात को मेहरसिंह जाट व लालाराम जाट तथा चार पांच आदमी और उनके मकान व झोपडी में अंदर घुस गये और उन्हें गाली गलोच की और उसके पूरण व संजय के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। मारपीट में उसके सिर व हाथ में चोट आई थी। सुबह उन्होंने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सरकारी अस्पताल नारायणपुर में उनका ईलाज करवाया था। उनके द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने बनाया था, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने घटना वाले दिन रात्रि को काफी अंधेरा होने तथा मुलजिमान को अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने का कथन किया है। रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे पता नहीं होने व नक्शा मौका के बारे में नहीं समझने का कथन किया है।

12. गवाह पी0ड0 6 संजय जो कि प्रकरण में मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अपने न्यायालय में हुए बयानों में यह कथन किया है कि वह अनपढ है पढना लिखना नहीं जानता है। घटना की तारीख व महीना आज उसे याद नहीं है। करीब नौ दस

साल पहले की बात है। उस दिन भोजपुरी गांव में रात को नगमनती, पूरण, वह, बुद्धसिंह व उनके परिवार के अन्य लोग अपनी अपनी झोपडियों में सो रहे थे, तभी रात को अचानक मेहरसिंह जाट व लालाराम जाट हाथों में लाठी डंडे व पत्थर लेकर उनकी झोपडी के अन्दर आये और उसके, बुद्धसिंह व पूरण के साथ लाठी, डंडों से मारपीट की और उन्हें एलानियां धमकी देकर सुबह तक घर खाली कर देने की कही। सुबह होने पर वे पुलिस थाना नारायणपुर गये थे और उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थे। पुलिस ने सरकारी अस्पताल नारायणपुर में उनका मेडिकल करवाया था। उनके द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 4 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि घटना रात की होने काफी अंधेरा होने व अंधेरे का फायदा उठाकर मुलजिमान का भाग जाने का कथन किया है। प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट थाने वालों ने ही लिखी होने का कथन किया है। घ ाटना की तारीख व महीना उसे पता नहीं होने व अंधेरे के कारण किसने किसके साथ मारपीट की इस बाबत् पता नहीं होने का कथन किया है।

13. गवाह पी0ड0 02 डॉ. दीपक कुमार शर्मा जो कि प्रकरण में चिकित्सकीय विशेषज्ञ है जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 10.09.2016 को मजरूब संजय पुत्र राजपाल व बुद्ध सिंह पुत्र नारायण व पूरण पुत्र नारायण के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। मजरूब संजय के शरीर पर चोट संख्या 1 मजरूब द्व ारा बाये घुटने व पीठ के निचले हिस्से पर दर्द की शिकायत बताई गई थी। चोट सामान्य प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित थी। मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है। मजरूब बुद्ध सिंह के शरीर पर चोट संख्या 1 बायें हाथ के अग्र भाग पर 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी का कुचला हुआ घाव है। चोट संख्या 2 उपरी होंठ पर दो गुणा दो गुणा आधा सेमी का कुचला हुआ घा था। सभी चोटों की अवधि आठ घण्टों के भीतर की थी। चोटें सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है। मजरूब पूरण के शरीर पर चोट संख्या 1 सिर के दायी तरफ 3 गुणा 1 गुणा आधा सेमी कुचला हुआ घाव है। चोट संख्या 2 बायें हाथ की अंगुलियों पर दर्द की शिकायत थी। दोनों चोटें सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि आठ घंटे के भीतर की थी। मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि मजरूबान के सिर पर आई सभी चोटें गिरने पडने से एवं स्वकारित रूप से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

14. गवाह पी0ड0 01 मनोज जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने न्यायालय में हुए बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.09.2016 को वह पुलिस थाना

नारायणपुर में एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन परिवादी नगमन्ती पत्नी पूरण निवासी भोजपुरी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट थानाधिकारी विश्वनाथ शर्मा के समक्ष पेश की थी, जिन्होंने रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा नंबर 169/16 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 452, 379 भारतीय दंड संहिता में दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसके जिम्मे की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर अंकित कार्यवाही पुलिस व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। दौराने अनुसंधान परिवादिया नगमन्ती, पूरण, संजय सिंह, बुद्ध सिंह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये थे। परिवादिया नगमन्ती व गवाहान की मौजूदगी में घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 कशीद किया था। मजरूबान संजय, बुद्धसिंह व पूरण के चोट प्रतिवेदन सीएचसी नारायणपुर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे। बाद अनुसंधान मेहरसिंह पुत्र बीरबल, लालाराम उर्फ रामावतार पुत्र छीतरमल के विरूद्ध धारा 323, 341, 451, 34 भारतीय दंड संहिता का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही थानाधिकार रविन्द्र सिंह कविया के समक्ष पेश की थी। जिन्होंने बाद अवलोकन पत्रावली व बाद प्राप्ती चालानी आदेश उपरोक्त मुलजिमान के विरूद्ध चार्जशीट नंबर 117/16 न्यायालय में पेश की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि प्रकरण में कोई हथियार वगैरा की बरामदगी नहीं हुई थी। यह बात सही है कि नक्शा मौका बनाते समय मौके पर झगडे के अलामात मौजूद नहीं थे। यह बात सही है कि परिवादिया, मजरूबान के अलावा किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं हैं। उसने हॉटल वालों व स्वतंत्र गवाहों को तलब किया था किन्तु उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया था। यह बात सही है कि परिवादिया ने सात आदमियों के आने व घटना कारित करने वाली बात लिखवाई अै और उसने केवल दो लोगों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना है। यह कहना गलत है कि नट अपनी भेड बकरी मुलजिमान के खेतों में चरा रहे हों और मुलजिमान ने इन्हें मना किया हो तभी इनके बीच कहासुनी हुई हो और मुलजिमान ने कोई मारपीट नहीं की हो।

15. पत्रावली पर उपलब्ध संकलित सामग्री के आधार पर यह दर्शित होता है कि परिवादी ननमंती ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 थाना नारायणपुर में इस आशय की पेश की कि वह रात को पूरे परिवार सहित घर पर सोये हुए थे। रात करीब 11.00 बजे दरम्यान पांच आदमी आये और औरतों के साथ छेडखानी करने लगे। उन्होंने सोर मचाया तो ये भाग गये। फिर रात 01.00 बजे के दरम्यान 7 आदमी आये जिनमें से वह दो को पहचानती है जिसमें मेहरसिंह पुत्र बीरबल जाट बामनवास व लालाराम पुत्र छीतर जाट गांव मुण्डावरा थे और को नहीं जानती है। इन सबके हाथों में लाठी, टांचिया, सरिया हथियार थे। फिर इन्होंने आके उनके साथ पकडा पकडी की वे चिल्लाई तो

उसके पति और उसके देवर बुद्धसिंह ने बीच बचाव करने उठे तो इनको लाठी, टांचियां और डंडों से ताबडतोड हमला कर दिया जिससे उसके पति पूरण के सिर में और बायें हाथ की अंगुलियों में चोट आयी और उसके देवर बुद्धसिंह के बाये हाथ में और मुंह पर कुल्हाडी के बैंसे से वार किया जिससे दो दांत हिल गये। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संबंध में स्वयं परिवादिया गवाह पी0ड0 5 नगमंती देवी द्वारा मारपीट के संबंध में अपने बयानों में तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन करती है परन्तु उक्त गवाह अपनी जिरह में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि घटना वाले दिन रात को अंधेरा होने व कौन कौन आदमी लडाई करने आया उसका नाम नहीं बताने का कथन करती है। जिससे उक्त गवाह द्वारा किये गये कथन विरोधाभासी प्रतीत होने से अविश्वसनीय रहे हैं। इसी संबंध में गवाह पी0ड0 3 पूरण सिंह व गवाह पी0ड0 4 बुद्ध सिंह व गवाह पी0ड0 6 संजय जो कि प्रकरण में मजरूबान व चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त तीनों ही गवाहान द्वारा अपने न्यायालय बयानों में तो तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन किया गया है परन्तु अपनी जिरह में घ टना रात की होने, काफी अंधेरा होने व अंधेरे का फायदा उठाकर मुलजिमान का भाग जाने का विरोधाभासी कथन किया है तथा प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट भी थाने वालों ने ही लिखी होने का कथन किया है एवं घटना की तारीख व महीना उसे पता नहीं होने व अंधेरे के कारण किसने किसके साथ मारपीट की इस बाबत् पता नहीं होने का विरोधाभासी कथन किया है। जिससे उक्त गवाह के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। उक्त घटना के संबंध में यदि गवाह पी0ड0 02 डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा की जिरह का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह ने भी अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मजरूबान के सिर पर आई सभी चोटें गिरने पडने से व स्वकारित रूप से आने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने का स्पष्ट रूप से कथन किया गया है। जिसकी पुष्टि उक्त मजरूबान के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र क्रमशः प्रदर्श पी 4, पी 5 व पी 6 से भी होती है। इसी क्रम में गवाह पी0ड0 1 मनोज जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है उक्त गवाह द्वारा भी अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में कोई हथियार वगैरा की बरामदगी नहीं हुई थी तथा नक्शा मौका बनाते समय मौके पर झगडे के अलामात मौजूद नहीं थे एवं परिवादिया, मजरूबान के अलावा किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं हैं। उक्त गवाह द्वारा इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि परिवादिया ने सात आदमियों के आने व घटना कारित करने वाली बात लिखवाई है और उसने केवल दो लोगों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना है।

16. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.09.2016 को समय करीब रात 01.00 बजे मौजा ग्राम

भोजपुरी में सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी के रिहायशी मकान में अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया व परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित कर परिवादी पक्ष को उस दिशा में जाने से निवृत्त किया जिस दिशा में जाने का उन्हें विधिक अधिकार प्राप्त था। जिससे अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323 341, 451, 34 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

17. परिणामतः अभियुक्तगण 1. मेहरसिंह पुत्र बीरबल निवासी बामनवास कांकड थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0 2. रामोतार उर्फ लालाराम पुत्र छीतरमल निवासी मुण्डावरा थाना नारायणपुर जिला अलवर राज0 को अपराध अंतर्गत धारा 323 341, 451, 34 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

18. बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में उक्त सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे। साथ ही अभियुक्तगण को यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10,000–10,000/–रूपए प्रत्येक की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करे कि वह इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

19. निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर